बिल्दु 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

विश्वविद्यालय के अधिकारी

अधिकारी

निमलिखित विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे:

- (i) कुलाधिपति (महामहिम श्री राज्यपाल महोदय)
- (ii) कुलपति
- (iii) अधिष्ठाता
- (iv) निदेशक
- (v) कुलसचिव
- (vi) वित्त नियंत्रक
- (vii) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष
- (viii) अधिष्ठाता छात्र कल्याण
- (ix) विश्वविद्यालय की सेवा में एसे अन्य व्यक्ति जैसा परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जा सकता है।

कुलाधिपति (चांसलर)

- (1) उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।
- (2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा और उपस्थित होने पर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समाराह की अध्यक्षता करेगा।
- (3) सम्मानार्थ डिग्री प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।
- (4) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी या प्राधिकारी के किसी आदेश या कार्यवाही को रद्द कर सकता है जो इस अधिनियम एवं परिनियमों के अनुसार नहीं होता है। बशर्ते कि कोई ऐसा आदेश करने से पूर्व वह यह कारण बताने के लिए संबंधित अधिकारी या प्रधिकारी को बुलाएंगे कि क्यों न इस प्रकार का आदेश किया जाए और यदि इसके संबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई कारण सूचित किया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा।
- (5) कुलाधिपति ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों को करेगा जैसा इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाता है।

कुलपति (वाइस चांसलर)

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे खोज समिति (सर्च कमेटी) द्वारा गठित कृषि विज्ञान में श्रेष्ठ शिक्षाशास्त्रियों / वैज्ञानिकों के पैनल से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। खोज समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलत होंगें:
- (i) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
- (ii) मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार या आयुक्त, वन एवं ग्राम विकास
- (iii) प्रबंध परिषद् का एक नामित व्यक्ति बशर्ते कि सदस्यों में से एक को संयोजक के रूप मे कार्य करने के लिए कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा।
- (2) कुलपित तीन वर्ष की अविध तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक पद धारण करेगा, जो कोई पहले पड़ता हो। वह दूसरे पांच वर्ष की लगातार अविध या 65 होगा वर्ष आयु प्राप्त कर लेने तक, जो कोई पहले पड़ता है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है। कुलपित परिलिब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा यू.जी.सी/आई.सी.ए.आर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उसकी नियुक्ति के बाद उसकी हानि के लिए भिन्न नहीं होगा।
- (3) कुलपित कुलाधिपित के नाम अपने हस्ताक्षर सिहत लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है जिसे सामान्यतः उस तिथि से 60 दिन पूर्व कुलाधिपित को दिया जाएगा जिस पर कुलपित अपने पद से मुक्त होना चाहता है, परंतु कुलाधिपित उसे पहले कार्यमुक्त कर सकता है।
- (4) (क) कुलपित के पद की अस्थायी नियुक्ति या उसकी अनुपस्थिति या अवकाश की अवस्था में या किसी अन्य कारण वश, कुलाधिपित के अनुमोदन के साथ विश्वविद्यालय के संकाय के विश्वतम् अधिष्ठाता, कुलसिचव, निदेशक अनुसंधान एवं निदेशक, प्रसार के बीच से कोई एक कुलपित के सभी कार्यों को कर सकता है परंतु यह अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी। (ख) कुलपित के दौरा/अवकाश पर होने पर या किसी अन्य कारणवश, कुलपित उपयुक्त व्यवस्थ करेगा जैसा उचित समझें।

- (5) दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर पारित कुलाधिपति के आदेश या यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि पद पर कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है तो कुलाधिपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा उचित जांच, जिसमें कुलपति अपना प्रतिवदेन प्रस्तुत करने का अवसर रखेगा, के बाद, को छोड़कर कुलपति को हटाया नहीं जाएगा।
- (6) उपधारा (6) में उल्लेखित किसी जांच की विचाराधीनता के दौरान या उसकी प्रत्याशा में कुलाधिपति अगले आदेश तक आदेश दे सकता है।
- (क) ऐसे कुलपति को कुलपति के पद से निलंबित किया जाएगा परंतु उन परिलब्धियों को प्रप्त करना जारी रखेगा जिन पर वह अन्यथा उपधारा (3) के अंतर्गत हकदार होगा।
- (ख) कुलपति के पद का कार्य आदेश में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। कुलपति के अधिकार और कर्तव्य—भार
- (1) कुलपित विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षिक अधिकारी औरप्रबंध परिषद्, विद्वत् परिषद एवं अन्य प्राधिकरणों का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपित की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को डिग्रियां प्रदान करेगा।
- (2) कुलपति विश्व के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा ओर विश्वविद्यालय में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) कुलपति प्रबंध परिषद् अनुसंधान परिषद् और प्रसार शिक्षा परिषद् की बैठक बुलाएगा।
- (4) कुलपति इस अधिनियम, एवं परिनियमों और विनियमों के प्रावधानाकं के यथार्थ पालन को सुनिश्चित करेगा।
- (5) कुलपति प्रबंध परिषद् के लिए वार्षिक वित्तीय आकलनां और वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) कुलपित किसी आपातकाल में कोई कार्यवाही कर सकता है। जिस पर उसकी सम्मित में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है। वह उसके बाद उस मामले में और यथासंभव जल्दी से जल्दी उस प्राधिकारी को अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट करेगा जिसे सामान्यतः उस मामले पर विचार करना होता। यदि प्राधिकारी कुलपित की कार्यवाही से सहमत होता है तो उस मामले को कुलाधिपित को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

- (7) जहां उपधारा (6) के अंतर्गत कुलपित द्वारा की गई कोई कार्यवाही कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो वह उसे तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रबंध परिषद् से अपील कर सकता है जिस पर ऐसे व्यक्ति को दी गई कार्यवाही की नोटिस तामील की गई होती है।
- (8) यदि कुलपति संतुष्ट होता है कि प्रबंध परिषद् का निर्णय विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में नहीं है तो वह इसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट होगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।
- (9) पूर्ववर्ती उपधारा के प्रावधानों के अधीन कुलपति विश्वविद्यालय अधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों प्रोन्नतियों एवं पदच्युति के संबंध में परिषद के निर्णयों को लागू करेगा।
- (10) कुलपित विश्वविद्यालय के कार्यों के समुचित प्रशासन के लिए और शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा के घनिष्ठ समन्वय एवं एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (11) कुलपित इस प्रकार के अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा और इस प्रकार के अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसे प्रदान या अधिरोपित किए जाते हैं।

अधिष्ठाता, निदेशक, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक

- (1) अधिष्ठाता :
- (क) अधिष्ठाता संकाय एवं संबंधित संकाय की पाठ्य समिति का अध्यक्ष होगा और संकाय में समाविष्ट विभागों के शिक्षण अनुसंधान एवं प्रसार की व्यवस्था एवं कार्यान्वयन के लिए कुलपित के प्रति उत्तरदायी होगा।
- (ख) अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन संकाय विश्वविद्यालय के सभी प्रभागों, महाविद्यालयों / केन्द्रो और इकाइयों में स्नातकोत्तर अध्ययनों में समन्वय स्थापित करेगा।
- (2) <u>निदेशक अनुसंधान</u> :— एक अनुसंधान का निदेशक होगा जो धारा 30 में निर्धारित विश्वविद्यालय में अनुसांधन केन्द्र के सक्षम एवं कार्यचालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) निदेशक प्रसार शिक्षा :— एक प्रसार शिक्षा का निदेशक होगा जो धारा 31 में निर्धारित कृषि प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) <u>कुल सचिव</u> :--

- (क) कुलसचिव (रजिस्ट्रार) विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और प्रबंध परिषद् के अनुमोदन के अधीन कुलपित द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्राध्यापक के तुल्य पद धारण करने वाला व्यक्ति कुलसचिव के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। प्रध्यापक के तुल्य पद धारण करने वाला व्यक्ति कुलसचिव के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (ख) कुलसचिव विद्वत् परिषद् का सदस्य सचिव होगा।
- (ग) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य सील की उचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- (घ) कुलसचिव विद्वत् परिषद् के स्थायी अभिलेखों का अनुरक्षण, छात्र—छात्राओं के शैक्षिक निष्पादन एवं अनुशासन से संबंधित लिए गए पाठ्यक्रमों, प्राप्त क्रेडिटों, डिग्रियों, पुरस्कारों या अन्य विशेष योग्यताओं एवं अन्य मदों सहित विश्वविद्यालय के छात्र—छात्राओं के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ड़) कुलसचिव विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित एवं प्राप्त करेगा।

(5) वित्त नियंत्रक :--

- (क) वित्त नियंत्रक बजट एवं लेखा विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की निधियों एवं निवेशों की व्यवस्था करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि व्यय यथा प्राधिकृत किया गया है।
- (ख) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में बनाए रखे गए लेखों के अविधिक आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।
- (ग) वित्तनियंत्रण परिषद् द्वारा अनुमोदित रूप एवं ढंग से विश्वविद्यालय के लेखा के अनुरक्षण और नगदी एवं बैंक शेष की स्थिति पर एक निवेश की स्थिति पर लगातार चौकसी रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (घ) वित्त नियंत्रक का कर्त्तव्य (i) यह सुनिश्चित करना होता हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा निवेश से भिन्न कोई अनिधकृत व्यय नहीं किया जाता है। और (ii) किसी ऐसे व्यय की अनुमित नहीं देना जो किसी परिनियम के शर्तों के विपरीत हो सकता है या जिसके लिए परिनियम द्वारा प्रावधान बनाए जाने कि आवश्यकता है। परंन्तु नहीं किया गया है, होगा।

- (इ) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं निवेशों की व्यवस्था करेगा और यह देखेगा कि भवनों, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य मदों की पंजिका अद्यतन बनाए रखी गई है और विश्वविद्यालय के सभी कार्यकलापों एवं इकाइयों में सभी मदों को स्टॉक की जांच की गई है।
- (6) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष :— वह विश्वविद्यालय के अनुरक्षण एवं प्रबंध विश्वविद्यालय की विभिन्न घटक इकाइयों के पुस्तकालयों में कार्यचालन का मार्गदर्शन एवं समन्वय स्थापित करने, बजट आकलनों में समविष्ट करने विकास आवश्यकताओं के लिए वार्षिक आंकनल तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) <u>अधिष्ठाता छात्र कल्याण</u> :- उसके निम्नलिखित कर्तव्यभार होंगे :
 - (क) छात्र—छात्राओं के छात्रावासों की व्यवस्थाएं करना और प्रबंध का परिवेक्षण करना।
 - (ख) छात्र—छात्राओं की पाठ्यतर किया कलापों, जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य मनोविनोदात्मक किया कलापों, राष्ट्रीय कैडेट कोर और विश्वविद्यालय की अन्य सम्बंधित किया कलापों की योजना बनाना और आयोजित करना।
 - (ग) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करने के लिए भावी नियोक्ता एवं रोजगार एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के छात्र—छात्राओं के बीच अनुशासन प्रोत्साहित करना।
 - (घ) विश्वविद्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कल्याण उपायों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना।
 - (ड.) छात्र—छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं (वजीफा) अंशकालिक रोजगार और अध्ययनार्थ भ्रमण के लिए यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था करना।

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

OFFICERS

The following shall be the officers of the University namely: -

- (i) The Chancellor (H.E. The Governor of Uttarakhand)
- (ii) The Vice-Chancellor
- (iii) The Deans
- (iv) The Directors
- (v) The Registrar
- (vi) The Comptroller
- (vii) The University Librarian
- (viii) The Dean Student Welfare
- (ix) Such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.

THE CHANCELLOR (KULADHIPATI)

- (1) The Governor of the State of Uttaranchal shall by virtue of his office be the Chancellor of the University.
- (2) The Chancellor shall be the Head of the University and shall when present, preside at the convocation of the University.
- (3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
- (4) The Chancellor may by an order in writing annul any order or proceeding of the officer or authority of the University which is not in conformity with this Act and Statutes.
 - Provided that before making any such order he shall call upon the officer or authority concerned to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the time specified in this behalf, he shall consider the same.
- (5) The Chancellor shall exercise such powers and perform such other duties as are conferred on him by this Act or the Statutes.

THE VICE-CHANCELLOR (KULPATI)

- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and he shall be appointed by the Chancellor from the panel of eminent educationists/Scientists in Agricultural Sciences drawn by the Search Committee. The Search Committee shall consist of the following person: -
 - (i) Director General, ICAR
 - (ii) Chief Secretary, Uttaranchal Govt. or Commissioner, Forest & Rural Development
 - (iii) One nominee of the Board of management

 Provided that one of the members shall be nominated by the

 Chancellor to act as Convener;
- (2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier. He shall be eligible for reappointment for a second consecutive term of five years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier. The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by UGC/ICAR and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.
- (3) The Vice-Chancellor may relinquish his office by resignation in writing under his hand addressed to the Chancellor which shall be delivered to the Chancellor normally 60 days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved from his office, but the Chancellor may relieve him earlier.
- (4) (a) In the event of a temporary vacancy of the post of Vice-chancellor or his absence or leave or for any other reason, anyone from amongst the seniormost Dean of faculty of the University, Registrar, Director Research and Director Extension, with the approval of the Chancellor, may perform the routine duties of the Vice-Chancellor but his period shall not exceed six months.

- (b) In the event of Vice-Chancellor being out on tour/leave or for any other reason, the Vice-Chancellor will make suitable arrangement as deemed proper.
- (5) The Vice-Chancellor shall not be removed from his office except by order of the Chancellor passed on the ground of mis-behaviour or incapacity, or if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detriment to the interest of the University, after due inquiry by such person who is to be nominated by the Chancellor in which the Vicechancellor shall have an opportunity of making his representation.
- (6) During the pendency or in contemplation of any inquiry referred to in sub section [6], the Chancellor may order that until further order,
 - (a) Such Vice-Chancellor shall be suspended from the post of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section [3],
 - (b) The functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order,

POWERS AND DUTIES OF THE VICE-CHANCELLOR

- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and ex-officio Chairman of the Board, Academic Council and other authorities and shall in the absence of the Chancellor preside at the convocation of the University and confer degrees on persons entitled to receive them.
- (2) The Vice-chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for due maintenance of discipline in the University.
- (3) The Vice-Chancellor shall convene meeting of the Board, Academic Council, Research Council and Extension Education Council.
- (4) The Vice-Chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of this Act and Statutes and Regulations.

- (5) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimates and the annual accounts to the Board of Management.
- (6) The Vice-Chancellor may take any action in any emergency which in his opinion calls for immediate action. He shall in such case and as soon as may be thereafter report his action to the authority which will ordinarily have dealt with the matter. If the authority disagrees with the action of the Vice-Chancellor the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.
- (7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person he may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date on which such person has been served with a notice of the action taken.
- (8) If the Vice-Chancellor is satisfied that a decision of the Board is not in the best interest of University he shall refer it to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
- (9) Subject to the provisions of the preceding sub-section, the Vice-Chancellor shall give affect to the decisions of the Board regarding the appointments, promotions and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.
- (10) The Vice-chancellor shall be responsible for the proper administration of the affairs of the University and for a close co-ordination and integration of teaching, research and extension education.
- (11) The Vice-chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as are conferred or imposed upon him under the provisions of this Act and the Statutes.

DEANS, DIRECTORS, REGISTRAR, COMPTROLLER

1. DEAN:

- (a) The Dean shall be the Chairman of the Faculty and the Board of Studies of the concerned faculty and shall be responsible to the Vice-Chancellor for the organization and implementation of the teaching, research and extension work of the Departments comprised in the Faculty
- (b) The Dean, faculty of Post-graduate Studies shall Co-ordinate Post-graduate Studies in all Divisions/Departments, Colleges/Centres and Units of the University.

2. DIRECTOR RESEARCH:

There shall be a Director of Research who shall be responsible for the direction and co-ordination of research programmes in the University as laid down in section 30 and efficient working of research station.

3. DIRECTOR, EXTENSION EDUCATION:

There shall be a Director of Extension Education who shall be responsible for the Agriculture Extension Education Programme as laid down in section 31.

4. REGISTRAR:

- (a) The Registrar (Kulsachiv) shall be a whole time Officer of the University and shall be appointed by the Vice-Chancellor subject to the approval of the Board of Management. The person holding the post equivalent to Professor shall be eligible for appointment as Registrar.
- (b) The Registrar shall be Member Secretary of the Academic Council.
- (c) The Registrar shall be responsible for the due custody of records and common seal of the University.

- (d) The Registrar shall be responsible for maintaining permanent records of the Academic Council, performance of the students of the University including the courses taken, credits obtained, degrees, prizes or other distinctions and other items pertaining to the academic performance and the discipline of the students.
- (e) The Registrar shall invite and receive applications for admission in the University.

5. COMPTROLLER

- (a) The Comptroller shall be responsible for preparation of the budget and the statement of accounts of the University. He shall manage the funds and investments of the University. He shall be responsible for ensuring that expenditure is made as authorized.
- (b) The Comptroller shall arrange periodical internal inspections of the accounts maintained in the various units of the University.
- (c) The Comptroller shall be responsible for the maintenance of the accounts of the University in the form and manner as approved by the Board and keep constant watch on the state of cash and bank balance and on the state of investment.
- (d) The Comptroller shall have the duty (i) to ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment and (ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any statute, or for which provision is required to be made by Statutes, but has not so been.
- (e) The Comptroller shall manage the property and investments of the University and see that the register of buildings, furniture/equipment and other items are maintained up-to-date and that the stock checking is conducted of all items in all offices and units of the University.

6. UNIVERSITY LIBRARIAN:

He shall be responsible for the maintenance and management of the University Library, to guide and co-ordinate the working in the libraries of the various constituent units of the University, to prepare the annual estimate for operational and developmental requirements of all the libraries of the University for incorporation in the budget estimates.

7. DEAN STUDENT WELFARE:

He shall have the following duties:

- (a) to make arrangements and supervise management of students' hostels,
- (b) to plan and organize students' extra-curricular activities such as sports, cultural and other recreational activities, National Cadet Crops and other allied activities of the University.
- (c) to enlist cooperation of prospective employer and employment agencies to assist in the placement of graduates of the University and to promote discipline amongst the students of the University.
- (d) to supervise and control medical and health services and other welfare measures in the University.
- (e) to make arrangements for scholarships, stipends, part-time employment and travel facilities for the study tour of the students.